न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील /टीए/333/2006/बांरा

1. मथुरालाल पुत्र मोतीलाल (फौत) के कायम मुकाम :–
   1/1. धन्नीबाई पत्नी स्व. मथुरालाल
   1/2. रामरतन पुत्र स्व. मथुरालाल
   1/3. हरिशंकर पुत्र स्व. मथुरालाल
   1/4. पाना चन्द पुत्र स्व. मथुरालाल
   1/5. गिर्राज पुत्र स्व. मथुरालाल
   1/6. रूकमणी बाई पुत्री स्व. मथुरालाल

समस्त जाति धाकड, निवासी ग्राम कडैयावान तहसील छबडा जिला बांरा

.....अपीलार्थी

बनाम

1– रूकमाबाई विधवा पत्नि स्व0 श्रीराम नाथ (फौत) के कायम मुकाम :–
1/1. लक्ष्मीचंद दत्तक पुत्र रूकमाबाई जाति धाकड निवासी ग्राम कडैयावान तहसील छबडा जिला बांरा

2– राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक कोटा।

..... प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित :
श्री गौरव दवे, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अभिभाषक रेस्पोडेंट

दिनांक

निर्णय

1– यह अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19–10–05 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम) की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2— अपील ज्ञापन के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीया रेस्पोडेंट ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 91, 183, 92—ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय उपखंड अधिकारी छबडा के समक्ष अपील ज्ञापन में अंकित विवादित आराजी बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिनी के पति रामनाथ के खाते व कब्जेकाश्त में ग्राम कडेयावन तहसील छबडा में खसरा नंबर 506 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित थी जो उसके पति के देहांत के बाद उसकी खातेदारी में दर्ज की गई। सैटलमेंट के अनुसार उक्त आराजी के नये खसरा नंबर 427 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा कायम हुये। वादिनी के पति की नौकरी लगने से विवादित आराजी प्रतिवादी अपीलांट के पिता मोतीलाल व उसके भाईयों को देखरेख करने व काश्त करने हेतु संभलाई तथा हर वर्ष उनसे मुनाफा काश्त लेते रहे। विवादित आराजी को प्रतिवादी अपीलांट ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपने नाम दर्ज करवा लिया। अतः वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादी की खातेदारी निरस्त कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे तथा विवादित आराजी को पुनः वादिनी के खाते दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादिनी को दिलाया जावे। न्यायालय उपखंड अधिकारी छबडा ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये अपने निर्णय दिनांक 28—10—03 द्वारा वादी अपीलार्थी का दावा खारिज कर दिया।

3— परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 28—10—03 के विरूद्ध वादिनी रेस्पोडेंट ने प्रथम अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19—10—05 द्वारा आंशिक स्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28—10—03 निरस्त करते हुये प्रकरण कतिपय निर्देशों के साथ परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है।

4— विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व तथ्यों के विपरीत अपील को प्रतिप्रेषित किया है। वादग्रस्त आराजी पर वादिनी रेस्पोडेंट का कभी कब्जाकाश्त नहीं रहा और न ही उसके पति का उसके जीवनकाल में कब्जाकाश्त रहा। इस कारण विवादित आराजी पर पिछले 60 वर्षो से वादिनी एवं वादिनी के पति का कब्जाकाश्त नहीं होने के कारण उनके खातेदारी अधिकार बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ स्वतः ही समाप्त हो जाते है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने वादिनी को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं माना। ऐसी स्थिति में वादिनी किसी भी तरह खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है फिर भी विद्वान राजस्व अपील अधिकारी ने वादिनी की अपील स्वीकार कर प्रतिप्रेषित करने में महत्वपूर्ण कानूनी त्रुटि की हो। विवादित आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही अपीलान्ट के पिता मोतीलाल काबिज थे एवं उनकी मृत्यु के पश्चात् अपीलान्ट काबिज काश्त करता रहा है तथा जिस समय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ उस समय विवादित

आराजी पर अपीलान्ट काबिज काश्त था। इस प्रकार उक्त आराजी पर अपीलान्ट का पिछले 60 वर्षों से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। इस कारण बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ कब्जा मुखालफाना हो जाने से अपीलान्ट को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये किन्तु विद्वान अपीलीय न्यायालय ने इस बिन्दु को नजर अन्दाज कर अपील स्वीकार कर महत्वपूर्ण कानूनी भूल की है। उनका यह भी कथन है कि वादी ने न तो दस्तावेजी साक्ष्य और न मौखिक साक्ष्य से यह साबित किया है कि प्रतिवादी अपीलान्ट ने उक्त विवादित आराजी पर कभी अतिक्रमण किया है। उक्त प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रतिवादी अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजीयात पर क्रय करने की दिनांक से निरन्तर, निर्बाध रूप से आधिपत्य, उपयोग व उपभोग चला आ रहा है और इस तथ्य को स्वयं वादिनी रेस्पोडेन्ट ने भी अपने वाद पत्र में स्वीकृत किया गया है तो ऐसी स्थिति में जब स्वयं वादिनी द्वारा उक्त तथ्य स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है तो न्यायालय के समक्ष वादिनी के वाद पत्र को अस्वीकार करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प विद्यमान नहीं रहता है फिर भी विद्वान अपीलीय न्यायालय ने मात्र कयासों के आधार पर रेस्पोडेन्ट वादिनी की अपील स्वीकार कर प्रतिप्रेषित करने में महत्वपूर्ण कानूनी त्रुटि की है जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा कायम तनकी सं.1 को वादीया अपीलांट द्वारा साबित नहीं किये जाने की स्थिति में उसका वाद निरस्त किया गया था किंतु अपीलीय न्यायालय ने उपलबध राजस्व अभिलेख एवं अन्य न्यायिक सामग्री उपलब्ध होने पर भी अपील को खारिज करने के बजाय बेवजह प्रकरण को प्रतिप्रेषित कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण साक्ष्य एवं विवेचन के पश्चात आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये निर्णय व डिक्री पारीत की है, किंतु अपीलीय न्यायालय ने उक्त समस्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं को नजरअदांज करते हुये संक्षिप्त निर्णय द्वारा परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित (Remand) कर दिया। उनका यह भी कथन है कि यदि विचारण न्यायालय के द्वारा शेष तनकियों पर कोई निष्कर्ष अंकित नहीं किया गया था तो उनके समक्ष रिकार्ड एवं साक्ष्य के साथ सम्यक् सामग्री उपलब्ध होने से आदेश 41 नियम 24 के तहत प्रकरण को रिमाण्ड करने के स्थान पर गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिये था। अतः अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जावे एंव अपील स्वीकार की जाकर परीक्षण न्यायालय का निर्णय बहाल रखा जावे। अविद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2007–ाा पेज 895, आरआरडी 2005 पेज 397 व आरआरडी 2009 पेज 447 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये, जिनका ससम्मान अवलोकन व अध्ययन किया।

5– उपरोक्त तर्को का प्रतिरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने बहस में कहा कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी को अन्य की खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। विवादित आराजी पूर्व में वादिनी के पति स्व0 रामनाथ की खातेदारी में संवत् 2008 की जमाबंदी में अंकित है। विवादित आराजी से अपीलार्थी का कोई वास्ता नहीं रहा अपितु उसे अपीलांट को काश्त पर दी गई थी। अपीलार्थी वादिनी के पिता का भाई था तथा विवादित आराजी को

काश्त करने में मदद करता था। अपीलार्थी ने विवादित आराजी राजस्व कर्मचारियों से मिलकर गलत रूपसे अपने नाम दर्ज करवाई है। वादिनी रेस्पोडेंट ने विवादित आराजी अपनी खातेदारी में दर्ज होने के समर्थन में प्रदर्श–5 एवं प्रदर्श–6 पेश किये जिसमें विवादित भूमि खसरा नंबर 427 जिसके साबिक खसरा नंबर 506 था, रेस्पोडेंट वादिनी की खातेदारी में दर्ज रही है। अपीलार्थी का प्रतिकूल कब्जा नहीं होकर पांति के आधार पर परमिसिव पजेशन था। विधवा की भूमि पर न तो एडवर्स पजेशन माना जा सकता है और न ही एडवर्स पजेशन के आधार पर उसकी आराजी पर अन्य को खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। विचारण न्यायालय ने वाद साक्ष्यों से साबित होने पर भी विधि विरूद्ध खारिज किया है। इसलिये अपीलीय न्यायालय द्वारा परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर प्रत्यर्थी की अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करने में किसी प्रकार की कोई विधिक या तथ्यात्मक भूल नहीं की गयी है, जिसमें किसी प्रकार की दृष्ट्व्य विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि जाहिर नहीं होने के कारण द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालयों के रिकार्ड का अवलोकन व अध्ययन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादीया रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 91, 183, 92–ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखंड अधिकारी छबडा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये अपने निर्णय दिनांक 28–10–03 द्वारा दावा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय दिनांक 28–10–03 के विरूद्ध वादिनी रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 19–10–05 द्वारा आंशिक स्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–10–03 निरस्त करते हुये प्रकरण कतिपय निर्देशों के साथ परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील को प्रतिप्रेषित करने का मुख्य आधार यह लिया है कि विचारण न्यायालय ने मात्र एक तनकी पर ही निर्णय पारित किया है अन्य तनकीयों के सम्बंध में कोई निर्णय पारित नहीं किया, जबकि प्रत्येक तनकी पर अलग अलग विवेचन करते हुये निष्कर्ष देना चाहिये था। अपीलीय न्यायालय ने वादिया रेस्पोडेंट को प्रदर्श 5 जो जमाबंदी संवत् 2008 तथा 2009 है, के अनुसार विवादित भूमि की खातेदारी में दर्ज होना मानते हुये निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय ने पूर्व विवाद्यकों को समन्वित कर मात्र दो तनकी निर्धारित की थी तथा अनुतोष की दूसरी तनकी कायम की गई थी। विचारण न्यायालय के समक्ष लम्बित वाद में मुख्य तनकी, तनकी सं.1 थी जो इस प्रकार थी कि क्या वादी सेटलमेंट से पूर्व भूमि की खातेदार होने के कारण लम्बे समय से कब्जेकाश्त प्रतिवादी को बेदखल कर पुनः भूमि की खातेदारी

प्राप्त करने की अधिकारी है ? उक्त तनकी विचारण न्यायालय ने वादीनी के विरूद्ध इस आधार पर तय की है कि वादी प्रतिवादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य के विरोध में कोई ठोस व पुष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी। साठ वर्ष से अधिक लम्बे समय से काब्जेकाश्त को उसने स्वयं स्वीकार किया है और व तत्समय से ही उज्जैन मे रह रही है। वादिनी रेस्पोडेंट 60 वर्ष की लम्बी अवधि तक प्रतिवादी अपीलार्थी के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी बाबत् किसी प्रकार की चाराजोही नही करने का कोई ठोस व स्पष्ट कारण भी अवगत नहीं करा पाई। विचारण न्यायालय द्वारा मुख्य तनकी सं.1 का निर्णय वादी रेस्पोडेंट के विरूद्ध प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एवं गवाह/साक्ष्य के आधार पर तय किया है तथा तनकी सं.1 के निर्णय के पश्चात् तनकी सं.2 जो अनुतोष से सम्बंधित है, महत्वपूर्ण नहीं होने से उस पर निष्कर्ष अंकित नहीं किया। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय का यह निष्कर्ष कि विचारण न्यायालय ने मात्र एक तनकी को ही निर्णित किया है, मानने योग्य नहीं है। अपीलीय न्यायालय द्वारा जब यह मान लिया गया था कि विचारण न्यायालय ने अन्य तनकी पर निर्णय नहीं किया तो उनके समक्ष विचारण न्यायालय का रिकार्ड एवं साक्ष्य के साथ सम्यक् सामग्री उपलब्ध थी ऐसे में आदेश 41 नियम 24 के तहत प्रकरण को रिमाण्ड करने के स्थान पर शेष तनकियों का निस्तारण करते हुये अपील का गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिये था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया।

8— उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19—10—05 विधिक रूप से त्रुटिग्रस्त है क्योंकि अपीलीय न्यायालय के समक्ष समुचित साक्ष्य व रिकार्ड उपलब्ध होने के उपरांत भी गुणावगुण पर निर्णय पारित करने के बजाय प्रकरण विचारण न्यायालय को रिमाण्ड किया है। अतः अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत् नहीं होने से उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। सारांशतः हस्तगत द्वितीय अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

9— परिणामतः हस्तगत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा का निर्णय दिनांक 19—10—05 निरस्त किया जाता है तथा न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि पैरा नंबर 7 में दिये गये अभिमत अनुसार उभय पक्ष को सुनकर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष